तत्काल / आवश्यक

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः ५५ / स्थापना अनुभाग–1 / एल0एस0 दिनांकः: 18-4-2020

कृपया उपरोक्त कार्मिक अनुभाग–4 के संलग्न शासनादेश सं0–7 / 2020 / 315 / सामान्य–का–4–2020, दिनांक 17 अप्रैल, 2020 की छाया प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया शासनादेश में निर्देशित बिन्दु–1 से 6 तक का अनुपालन कडाई से सुनिश्चित किया जाय–

1. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3. सयुंक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, रहमानखेड़ा–लखनऊ / बाबूगढ हापुड़ / निबलेट–बाराबंकी।
4. परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, भैसोड़ा, नौगढ़, चन्दौली।
5. प्रधानाचार्य, आर्दष प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्सी का तालाब, लखनऊ।
6. प्रायोजना अधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, लखीमपुर–खीरी / रायबरेली, आजमगढ / मुजफफरनगर / गोरखपुर / उरई–जालौन।
7. मुख्य तकनीकी अधिकारी, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र बरेली / पीलीभीत।
8. संयुक्त निदेशक, एनीमल न्यूट्रीनिष्ट, बादशाहबाग, लखनऊ।
9. मुख्य तकनीकी अधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर, लखनऊ।
10. मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट प्रशिक्षण) महानगर, लखनऊ / झांसी।
11. उप निदेशक, पी0टी0एस0 पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, निबलेट, बाराबंकी।
12. अनुसंधान अधिकारी, (कुक्कुट), बाबूगढ, हापुड़।
13. प्रायोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन विकास वर्गीकरण, मिर्जापुर।
14. मुख्य तकनीकी अधिकारी, (भेड़ एवं ऊन विकास), इलाहाबाद / वाराणसी / मिर्जापुर।
15. संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
16. वेटनरी पैथालाजिस्ट / गायनाक्लोजिस्ट, गोरखपुर / फैजाबाद / लखनऊ / बरेली / मेरठ / आगरा / झांसी / मुरादाबाद / वाराणसी / इलाहाबाद / कानपुर नगर।
17. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
18. उप निदेशक, पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान, लखनऊ।
19. प्रक्षेत्र प्रबन्धक / प्रक्षेत्र अधीक्षक, राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र ,आराजीलाइन्स–वाराणसी / सैदपुर–ललितपुर / निबलेट–बाराबंकी / नीलगांव–सीतापुर।

(डा0यू0पी0सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-7/2020/315/सामान्य-का-4-2020

लखनऊ दिनांक: 17 अप्रैल 2020

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के संबंध में सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल, 2020 से खोले जाने के संबंध में:-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में पूर्व आदेश सं0-303/सा-का-4-2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश सं0-40-3/2020-40-3/डीएम-1(ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के प्रस्तर-3 एवं 19 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेन्स, अग्निशमन, आकस्मिक सेवायें, आपदा प्रबन्धन, कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबन्ध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे।

2- प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह ग एवं घ के यथावश्यक, 33 प्रतिशत तक के कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था के लिये विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुये रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, शासकीय कार्य हेतु आवश्यक कार्मिकों को ही कार्यालय में बुलाया जाय। कार्यालय की कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाय।

रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

3- जिला प्रशासन, ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिये भी आवश्यकतानुसार कार्मिकों को शासकीय कार्य के लिये नियोजित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उत्तर प्रदेश राज्य के रेजीडेंन्ट कमिश्नर कार्यालयों को भी कोविड-19 के संबंध में तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिये उक्त प्रतिबन्धों के साथ संचालित किया जाय।

5- वन विभाग के कार्मिक जो प्राणिउद्‌यान के संचालन एवं प्रबन्धन पौधशालाओं, वन्य-जीव, जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं से जुडे हैं, वे अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे।

6- संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किये जाने के संबंध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं या जिन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त वर्णित आदेश सं0-40-3/2020-40-3/डीएम-1(ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020 के तहत कोई अतिरिक्त निर्देश दिये गये हैं।

इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

संख्या-7/2020/315(1)सा0-का-4-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।
3- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

http://up.shasanadesh.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।